न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

मद्यनि0 और उत्पाद वाद सं0–118/2017–18 राज्य बनाम

राज्य बनाम बादल मंडल

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
06.03.2018	<u>आदेश</u> उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1342/उ0 दिनांक 13.10.2017 के द्वारा बादल मंडल पे0 स्व0 बालेश्वर मंडल सा0–माड़र, थाना–मोरकाही जिला–खगड़िया को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री बादल के विरूद्ध निम्नलिखित पी0आर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है:– 1. बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत पी आर संख्या–75 दिनांक 17.02.17 को गिरफ्तार किया गया। 2. बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 अन्तर्गत पीआर संख्या–20 दिनांक 15.07.17 को गिरफ्तार किया गया। मुकदमें में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद एक्ट के धाराओं के तहत आरोपित है। Offence against property or Offence affecting human body से संबंधित कार्यो के द्वारा अदतन शराबी हैं। चोरी छिपे शराब खरीदने एवं पीने की संभावना है, जिससे इलाके का माहौल बिगड़ने की संभावना है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया के माध्यम से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उत्तरवादी न्यायालय में अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त अपने बचाव में कोई दावा/पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं/सक्षम नहीं है। नोटिस में उपस्थित रहकर कारण पृच्छा समर्पित करने के स्पष्ट निदेश के बावजूद उपस्थित नहीं होने से आरोप का स्वीकारात्मक पक्ष प्रदर्शित होता है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद अधिनियम) उपस्थित हुए तथा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66 के तहत कार्रवाई करना उचित एवं न्यायसंगत बताया गया। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त आदतन शराबी है और पी आर संख्या–75 दिनांक 17.02.17 तथा पीआर संख्या–20 दिनांक 15.07.17 को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। बराबर शराब का सेवन करने के कारण मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत ये आदतन की श्रेणी में आते हैं। इन्हें प्रथम बार पीआर संख्या–75 दिनांक 15.02.17 को गिरफ्तार किया गया एवं पुनः पीआर संख्या–20 दिनांक 15.07.17 को गिरफ्तार किया गया। इनके इस प्रकार के कृत्य से यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि ये भविष्य में भी शराब के पीने से संबंधित कृत्यों में लगे रह सकते हैं तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते है। श्री बादल मंडल को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है तथा लिखित नोटिस द्वारा सूचना देकर स्पष्टीकरण देने हेतु समुचित अवसर भी दिया गया है। अभियुक्त न्यायालय में अनुपस्थित रहे। श्री बादल मंडल के कार्य वृत तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं क्षेत्र में उनके गतिशील रहने की स्थिति में मद्यनिषेध व उत्पाद	

अधिनियम 2016 के प्रावधानों के भंग होने की प्रबल संभावना है। उन्हें extern किये जाने से शांति स्थापित रहने की संभावना हेतु बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66(3)(क) अन्तर्गत आदेश पारित करना नितांत आवश्यक हो गया है।

अतः मैं जय सिंह, भा0प्र0से0, जिला समाहर्त्ता, खगड़िया मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3)(क) के अन्तर्गत, श्री बादल मंडल पे0 स्व0 बालेश्वर मंडल, सा0– माड़र, थाना–मोरकाही जिला खगड़िया का निर्दिष्ट दिनांक 15.03.2018 से अगले 6(छः) माह तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंधित करता हूँ।

बादल मंडल पे0स्व0 बालेश्वर मंडल सा0–माड़र, थाना–मोरकाही, जिला–खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 15.03.2018 से अगले 06(छः) माह तक अर्थात् 15.09.2018 तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3) (क) के अन्तर्गत पारित आदेश का उल्लंघन किए जाने की दशा में धारा 70 के अन्तर्गत कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत यह अनुमति प्रदान की जाती है कि न्यायालय वाद की सुनवाई में यदि श्री बादल मंडल की उपस्थिति की अपेक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है तो उस तिथि विशेष को वे खगड़िया राजस्व जिले में प्रवेश कर सकते हैं, परन्तु न्यायालय में उपस्थिति के 12 घंटों के समाप्त होने से पहले ही उन्हें जिले के सीमा से बाहर चले जाना होगा। इसके साथ ही ऐसे प्रत्येक आगमन की सूचना थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर, जिला–खगड़िया में स्वयं उपस्थित होकर देनी होगी जिसका इन्द्राज स्टेशन डायरी में किया जायेगा। इस आदेश से थानाध्यक्ष, मोरकाही/चित्रगुप्तनगर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, खगड़िया/ उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को संसूचित कर दें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित 3.
	डी0 डी0 नं0......94........./विधि, दिनांक 13/03/2018...	
	प्रतिलिपिः—बादल मंडल पे0—स्व0 बालेश्वर मंडल, साकिन—माड़र, थाना—मोरकाही, जिला—खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।	
	प्रतिलिपिः—पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मुफसिल / थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर/उत्पाद, अधीक्षक, खगडिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।	
	प्रतिलिपिः—जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के बेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।	
	प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, 13/3/18 खगड़िया।	